कार्यालय–प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जौनपुर ।

निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से संस्थान शाहगंज (जौनपुर) में चल रहे तकीनीकी व्यवसाय फिटर में प्रयोग होने वाले साज–सज्जा / मशीनों की आपूर्ति हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं राजकीय विभागों में आपूर्ति का अनुभव रखने वाले आयकर एवं व्यापारकर में पंजीकृत इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं से सील बन्द लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है ।

प्रधानाचार्य को बिना कारण बताये समस्त निविदाओं / निविदा के किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।

कमांक	टेण्डर संख्या	निविदा शुल्क	वस्तु का प्रकार	मात्रा	धरोहर राशि
1	भण्डार / साज–सज्जा / 2016–17 दिनांक–05.10.2016	रूपया–500.00 विद वैट	साज–सज्जा	विस्तृत विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है ।	50000.00 (रूपया–पचास हजार मात्र)

निविदा प्रपत्र बिकी तिथि15.10.2016 से 02.11.2016 अपराह्न 04.00 बजे तथा जमा करने की अन्तिम तिथि–03.11.2016 अपराह्न 12.00 बजे तक तथा उसी दिन अपराह्न 02.00 बजे प्राप्त निविदायें कय समिति के सम्मुख खोली जायेगी ।

टेण्डर सूचना राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र जौनपुर की वेबसाइट www.jaunpur.nic.in व निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क उ0प्र0 की वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है । अधिक जानकारी के लिए संस्थान के भण्डार में सम्पर्क कर सकते हैं ।

(शिवबालक राम)
प्रधानाचार्य

कार्यालय—प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जौनपुर ।

निविदा सूचना

1—	निविदा सं0	भण्डार / साज—सज्जा / 2016—17 दिनांक—05.10.2016
2—	निविदा प्रपत्र जारी तिथि	15.10.2016
3—	निविदा शुल्क	रू0— 500.00 (रू0—पांच सौ मात्र)
4—	डाक द्वारा निविदा मंगाने पर	रू0—50.00 (रू0—पचास मात्र) अतिरिक्त
5—	धरोहर राशि	रू0—50000.00(रू0—पचास हजार मात्र)
6—	निविदा क्रय की अन्तिम तिथि	02.11.2016 अपराह्न 04.00 बजे तक
7—	निविदा जमा की अन्तिम तिथि	03.11.2016 दोपहर 12.00 बजे तक
8—	निविदा खुलने की तिथि व समय	03.11.2016 सायं 02.00 बजे
9—	निविदा जमा व खोलने का स्थान	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जौनपुर
10—	आपूर्ति माल का निरीक्षण	निरीक्षण समिति द्वारा
11—	संलग्न कुल पन्नों की संख्या	अ. नियम एवं शर्तें कुल पन्ने—02

(शिवबालक राम)
प्रधानाचार्य

कार्यालय–प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जौनपुर ।

निविदा प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण शर्तें / प्रतिबन्ध

1– प्रस्तुत दरें आगामी 06 माह के लिए मान्य होंगी ।

2– फर्म का बिक्रीकर / आयकर कार्यालय में पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक एवं निविदा प्रस्तुतकर्ता का पैन एवं टिन नं0 की छायाप्रति देनी होगी तथा कर अदेयता प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

3– समस्त साज–सज्जा की आपूर्ति राजकीय आई0टी0आई0 शाहगंज, जौनपुर में करनी होगी ।

4– आपूर्ति में स्पेशीफिकेशन का अनुपालन अनिवार्य होगा, साथ ही साज–सज्जा की गुणवत्ता प्रमाणित होनी चाहिए तथा अनुभव प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक होगा।

5– निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म / ठेकेदार को किसी भी सरकारी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट न किये जाने का एक शपथ पत्र दस रूपये के स्टाम्प पेपर पर देना होगा साथ ही यह भी कि मैंने समस्त शर्तें पढ़ ली हैं तथा उसे मान्य है।

6– क्रय आदेश जारी होने के 15 दिनों के अन्दर माल आपूर्ति करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में क्रयादेश निरस्त समझा जायेगा और अर्नेस्ट मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी । तथा जिस माल की आपूर्ति फर्म द्वारा समयावधि में नहीं की जायेगी उस माल के मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि आपूर्ति कर्ता को कार्यालय में जमा करनी होगी ।

7– प्रस्तुत दरों में वैट के अतिरिक्त समस्त कर / खर्चे समाहित होंगे तथा ट्रान्सपोर्टेशन में हुई टूटफूट के लिए फर्म स्वयं उत्तरदायी होगी ।

8– निविदा दो भागों में पृथक–पृथक सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जायेगी, प्रथम भाग के सील्ड लिफाफे में टेक्निकल आफर जिसमें प्रपत्र / औपचारिकतायें / पात्रता संबंधित प्रपत्रों के साथ–साथ समस्त आइटम्स के तकनीकी मानक सूची एवं अर्नेस्ट मनी का एफ0डी0आर0 संलग्न होगा । सम्बन्धित प्रपत्र रखकर उसके ऊपर तकनीकी अभिलेख अंकित किया जायेगा । द्वितीय भाग के सील्ड लिफाफे में आइटम की दर सूची रखकर उसके ऊपर फाइनेन्सियल आफर अंकित किया जायेगा ।

9– आपूर्तिकर्ता द्वारा देय दरें न्यूनतम पायी जाने पर क्रयादेश जारी होने से पूर्व आपूर्तिकर्ता को रू0–100.00 (रू0–सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र देना अनिवार्य होगा ।

10– तकनीकी आफर के लिफाफे में अर्नेस्ट मनी रूपया–50000.00 (रूपया–पचास हजार) जो एफ0डी0आर0 / एन0एस0सी0 आदि के रूप में प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जौनपुर के पक्ष में बन्धक हो रखी जायेगी ।

11– निर्धारित तिथि एवं समय पर तकनीकी आफर के लिफाफे को पहले खोला जायेगा । जिन निविदा दाताओं के तकनीकी आफर सही पाये जायेगे

केवल उनसे सम्बन्धित फाइनेन्सियल आफर को ही खोला जायेगा । जिन निविदा दाताओं के तकनीकी आफर को सही नहीं पाया जायेगा, उसे निरस्त समझा जायेगा ।

12– निविदादाता या उनके प्रतिनिधि निविदाएं खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं ।

13– प्रस्तुत दरें स्वीकृत होने व क्रयादेश जारी होने पर निविदादाता को माल आपूर्ति करना आवश्यक होगा । यदि माल आपूर्ति नहीं किया जाता है, तो जमा अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुये ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जा सकती है ।

14– आपूर्ति किये गये माल को भण्डार में विषय विशेषज्ञ / भण्डार प्रभारी के द्वारा जांच किया जायेगा । आपूर्ति किये गये माल की गुणवत्ता क्रियाशील होने पर ही भुगतान किया जायेगा ।

15– भुगतान की धनराशि पर नियमानुसार आयकर की कटौती अनिवार्य रूप से की जायेगी । जिसका विवरण आपूर्तिकर्ता को फार्म 16 ए बाद में उपलब्ध कराया जायेगा ।

16– विभिन्न फर्मों द्वारा दी गयीं दरें यदि एक समान पायी जाती हैं, तो किसी भी फर्म को क्रयादेश जारी करने का अधिकार सुरक्षित है ।

17– किसी भी आपूर्ति वस्तु का नमूना मांगे जाने पर फर्म को अपने व्यय पर नमूना देना अनिवार्य होगा ।

18– निविदा प्रपत्र पर दर्शायी गयी तिथि एवं समय के बाद किसी भी निविदा को सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

19– किसी भी निविदा या उसके किसी भाग को निरस्त करना तथा किसी भी आपूर्तिकर्ता को क्रयादेश जारी न करने का अधोहस्ताक्षरी को अधिकार सुरक्षित है।

20– निविदा दाता को अनुभव व आपूर्ति माल के गुणवत्ता मानक प्रमाणन भी प्रस्तुत करना होगा।

21– आपूर्ति कर्ता को टक्निकल बिडस में लगाये गये प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना आवश्यक होगा साथ ही आपूर्ति साज–सज्जा / मशीनों का इंस्टालेशन तथा डिमांस्ट्रेशन अपने स्वयं के व्यय पर कराना होगा।

22– किसी भी वाद / विवाद के मामले में न्याय क्षेत्र जौनपुर होगा।

(शिव बालक राम)
प्रधानाचार्य
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
जौनपुर ।